

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्  
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड का उपवेशन

**21 फरवरी 2026**

कार्यवाही विवरण



डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर  
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर



# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

फोन: 0291 -5153702  
0291 -5153704

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)  
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau\_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके./एफ-8/(B.O.S.-Ayurved)/06-07/

दिनांक:

## कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड का उपवेशन, जो दिनांक **21.02.2026** को प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिष्ठाता आयुर्वेद संकाय एवं विभागाध्यक्ष, रचना शरीर विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर में व्यक्तिशः/विडियो कॉन्फ्रेंस (वर्चअल) से आयोजित किया गया :-

1. प्रो. चन्दन सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, द्रव्यगुण विज्ञान विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
2. प्रो. ए. नीलिमा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
3. प्रो. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
4. प्रो. हरीश कुमार सिंघल, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ) एवं विभागाध्यक्ष, कौमारभृत्य विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
5. प्रो. देवेन्द्र सिंह चाहर, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ) एवं विभागाध्यक्ष, मौलिक सिद्धान्त विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
6. प्रो. ज्ञान प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ) एवं विभागाध्यक्ष, पंचकर्म विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
7. डॉ. ब्रह्मानन्द शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्वस्थवृत्त विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर
8. प्रो. अशोक कुमार शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, क्रिया शरीर विभाग, म.मो.मा.राज.आयु.महा., उदयपुर
9. प्रो. पप्पू लाल शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अगदतंत्र विभाग, म.मो.मा.राज.आयु.महा., उदयपुर
10. प्रो. अवधेश कुमार भट्ट, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रसशास्त्र विभाग, म.मो.मा.राज.आयु.महा., उदयपुर
11. डॉ. नरेन्द्र कुमार गर्ग, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कायचिकित्सा विभाग, भंवरलाल दूगड़ आयुर्वेद विश्वभारती, सरदारशहर, चूरू
12. प्रो. सुरेन्द्र कुमार गौतम, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शल्यतंत्र विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय, चोंमू, जयपुर
13. प्रो. प्रतिभा उपाध्याय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शालाक्य तंत्र विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद महाविद्यालय, चोंमू, जयपुर
14. प्रो. लल्लू लाल शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, शरीर रचना विभाग, शिरड़ी साई बाबा आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, रेनवाल जयपुर
15. डॉ. मनीषा गोयल, युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर (बाह्य सदस्य)
16. डॉ. इंदूमति शर्मा, एसो.प्रो., कायचिकित्सा विभाग, ममोमा राज आयु. महा, उदयपुर (बाह्य सदस्य)

सर्वप्रथम अधिष्ठता आयुर्वेद संकाय द्वारा अध्ययन बोर्ड के उपस्थित सदस्यों के स्वागतोपरान्त बिन्दुवार उपवेशन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

एजेण्डा बिन्दु संख्या	एजेण्डा बिन्दु विवरण	निर्णय
1.	आयुर्वेद अध्ययन मण्डल के गत उपवेशन दिनांक 24.03.2020 के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
2.	आयुर्वेद अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष (Chairman) पद पर चयन।	सर्वसम्मति से प्रो. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, पी.जी.आई.ए., जोधपुर को आयुर्वेद अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष (Chairman) पद पर चयन किया गया। जिसका प्रस्ताव प्रो. चन्दन सिंह, जोधपुर द्वारा रखा गया तथा उसकी अनुशंषा प्रो. अशोक कुमार शर्मा, उदयपुर द्वारा की गई।
3.	अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। 1. प्रो. अशोक कुमार शर्मा, उदयपुर द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि शैक्षणिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के मध्य अन्तर महाविद्यालय व्याख्यान का आयोजन वर्चुअल मॉड पर किया जाए। 2. प्रो. सुरेन्द्र गौतम, चौमू द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि वर्ष में आवश्यकतानुसार समय-समय पर आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड का उपवेशन आयोजित किया जाए। 3. प्रो. देवेन्द्र चाहर, जोधपुर द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि वर्ष में एक बार ऑफलाईन माध्यम से आयुर्वेद अध्ययन बोर्ड का उपवेशन आयोजित किया जाए। 4. प्रो. नरेन्द्र कुमार गर्ग, सरदारशहर द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि विषय अनुसार परीक्षक पैनल को अपग्रेड किया जाए।	1. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। 2. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। 3. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। 4. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।